N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District** (जिला): जबलपुर **P.S.** (थाना): ओमती

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0158 **Year** (वर्ष): 2025

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 13/03/2025 12:03 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	316(5)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	319(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	338
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	336(3)
6	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	340(2)
7	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence** (अपराध की घटना):

1. **Day** (दिन): दरमियानी दिन
Date From (दिनांक से): 01/04/2021
Date To (दिनांक तक): 03/03/2025
Time Period (समय अवधि):
Time From (समय से): 11:00 बजे
Time To (समय तक): 12:00 बजे

(b) **Information received at P.S.** (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): **Date** (दिनांक): 13/03/2025
Time (समय): 10:00 बजे

(c) **General Diary Reference** (रोजनामचा संदर्भ):**Entry No.** (प्रविष्टि सं.): 016
Date & Time (दिनांक और समय): 13/03/2025 11:55

4. **Type of Information** (सूचना का प्रकार): लिखित

Scanned with OKEN Scanner

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): पश्चिम, 2 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): क्षेत्रीय स्थानीय निधि ,संपरीक्षा कार्यालय ,सिविक सेन्टर जबलपुर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): विनायिका लकरा

(b) Father's Name (पिता का नाम) : स्व.श्री रेमिस लकरा

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1984 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	जिला कोषालय ,कार्यालय जबलपुर ,जबलपुर ,ओमती,जबलपुर,मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	29ए,साकार नगर ,तिलहरी ,जबलपुर ,गौराबाजार,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9406770734

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

Scanned with OKEN Scanner

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	संदीप शर्मा /Sandeep Sharma			1. जबलपुर,ओमती,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
2	सीमा अमित तिवारी/Seema Amit Tiwari			1. जबलपुर,ओमती,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
3	मनोज बरहैया/Manoj Barhaiya			1. जबलपुर,ओमती,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
4	प्रिया विश्नोई/Priya			1. जबलपुर,ओमती,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
5	अनूप कुमार भौर्या/Anoop Kumar Bhourya			1. जबलपुर,ओमती,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant** (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

थाना उपस्थित आकर आवेदन प्रस्तुत करने पर कायमी करना

9. **Particulars of properties of interest** (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any** (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू॰डी॰प्रकरण सं.)

12. **First Information contents** (प्रथम सूचना तथ्य):

मैं थाना ओमती मे सउनि के पद पर पदस्थ हूँ। दिनाँक 13/03/2025 को कार्यालय कोषालय अधिकारी जिला जबलपुर म.प्र.से जिला कोषालय अधिकारी विनायिका लकरा पिता स्व.श्री रेमिस लकरा उम्र 41 वर्ष निवासी 29ए साकार नगर तिलहरी थाना गोराबाजार जिला जबलपुर मो.नं. 9406770734 द्वारा थाना उपस्थित आकर एक टाइपशुदा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसके अवलोकन से संदीप शर्मा, सीमा अमित तिवारी, मनोज बरहैया, प्रिया विश्नोई तथा अनूप कुमार भौर्या के द्वारा अपने शासकीय पद का दुरूपयोग

Scanned with OKEN Scanner

करते हुये षड़यंत्रपूर्वक फर्जी दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करते हुये शासकीय राशि रु.6,99,20,000/- का गबन करना पाये जाने से आरोपियान के बिरूद्ध धारा 409,419,420,467,468,471,120बी भा.द. वि. 316(5),319(2),318(4),338,336(3),340(2),61(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। नकल आवेदन पत्र जैल है- कार्यालय कोषालय अधिकारी जिला जबलपुर म.प्र.पत्र क्रं. /2128/जि.को./2025 जबलपुर दिनांक 12.03.2025 प्रति,थाना प्रभारी,थाना ओमती जिला जबलपुर विषय:- क्षेत्रीय कार्यालय स्थाोनीय निधि संपरीक्षा म.प्र. जबलपुर में फर्जी बिल लगाकर किये गए गबन एवं गंभीर वित्तीरयअनियमितता के संदर्भ में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने विषयकामैं विनायिका लकरा जिला कोषालय अधिकारी जबलपुर के पद पर पदस्थभ हूं। क्षेत्रीय कार्यालय स्था नीय निधि संपरीक्षा म.प्र. जबलपुर में फर्जी बिल लगाकर किये गए गबन एवं गंभीर वित्तीययअनियमितता के संदर्भ में कार्यालय कलेक्टअर एवं जिला दण्डा धिकारी जबलपुर के द्वारा अपने आदेश क्र./जि.को./जच/2025/2053 जबलपुर, दिनांक 06.03.2025 के माध्य/म से 08 सदस्यी य समिति का गठन किया गया ।उक्तक समिति द्वारा जाप क्रं. /2116/ दिनांक11-03-2025 के माध्य म से अपना विस्तृ त जांच प्रतिवेदन कलेक्ट र जिला जबलपुर को प्रस्तु1त किया गया है। प्रतिवेदन की संक्षेपिका निम्ना नुसार है-1. जिला कोषालय अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय स्थाननीय निधि संपरीक्षा म.प्र. जबलपुर के द्वारा देयक क्रमांक 00021233899 एवं 200021233683 दिनांक 28.02.2025 (संलग्नद प्रति-1) में संलग्न स्वी2कृति आदेश त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर जिला कोषालय द्वारा आपत्ति लेते हुए देयक की त्रुटि के सम्बंध में दूरभाष पर सम्बं धित कार्यालय को अवगत कराये जाने के उपरांत सम्बंधित कार्यालय द्वारा अपने पत्र क्र./एल.एफ.ए.जे./प्रति./2024-25/3722 दिनांक 28.02.2025 के माध्येम से जिला कोषालय को सूचित किया गया कि समबंधित देयक के साथ संलग्न स्वीयकृति आदेश उनके कार्यालय द्वारा जारी नहीं किये गये है । (संलग्न प्रति-2) 2. उक्त2 आदेश के प्राप्ते होने उपरांत संदेह की स्थिति उत्पहन्न होने पर जिला कोषालय द्वारा आंतरिक रूप से जांच प्रारंभ की जिससे प्रकाश में आया कि उक्तउ कार्यालय द्वारा माह फरवरी 2024 से जनवरी 2025 के दौरान आहरित वेतन के रूप में सम्बंतधित श्री संदीप शर्मा के वैतन देयक में वेतन के साथ व्य क्तिगत वेतन में अत्यतधिक वृद्धि कर राशि लगभग 53,55,000/- का अतिरिक्त5 आहरण किया गया। (संलग्नप प्रति-3)3. प्रारंभिक जांच उपरांत पायी गई उपरोक्तक एवं कतिपय अन्यक वित्तीरय अनियमितताओं के विषय में कार्यालय कलेक्ट्र एवं जिला दण्डापधिकारी जबलपुर के द्वारा अपने आदेश क्र./जि.को./जच/2025/2053 जबलपुर, दिनांक 06.03.2025 के माध्य2म से 08 सदस्यीदय समिति का गठन किया गया । (संलग्नर प्रति-4) 4. वित्तीशय वर्ष 2021-22 के पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय स्थाठनीय निधि संपरीक्षा, जबलपुरआहरण संवितरण अधिकारी के रूप में जिला कोषालय कार्यालय जबलपुर के स्थानन पर नगर कोषालय जबलपुर के अंतर्गत मैप था । वित्ती य वर्ष 2021-22 में इसका संविलियन जिला कोषालय में हुआ । अत: समिति के द्वारा वित्तीवय वर्ष 2021-22 से दिनांक 03.03.2025 तक संपरीक्षा विभाग के समस्ती भौतिक दस्ता0वेज/अभिलेख एवं IFMIS से प्राप्तव डीडीओ कोड 1800406001 के अद्धतन data से मिलान करते हुए परीक्षण किया गया।वित्तीजय वर्ष 2021-22 के पूर्व के दस्तामवेज समिति को उपलब्ध नहीं है । 5. संयुक्तप संचालक स्थापनीय निधि संपरीक्षा द्वारा उनके कार्यालय के डीडीओ कोड 1800406001 के अंतर्गत उत्सा्दित/जेनरेटेड वेण्डनर जिन्हें संदिग्ध0 रूप से भुगतान किया गया है की सूची पत्र के माध्यरम से प्रेपित की । (संलग्न प्रति-5) जच समिती के द्वारा उक्तक पत्र के माध्याम से प्रदाय की गई जानकारी अपनी जांच में सम्मिलित किया । जांच के दौरान IFMIS से प्राप्त संपरीक्षा कार्यालय के डीडीओ कोड 1800406001 के अद्धतन data से मिलान किये जाने पर दी गई सूची में उल्ले्खित खातों में किया गया भुगतान फर्जी/अदेय पाया गया। उक्ते सूची अनुसार समस्तष संदिग्धि खातों को फ्रीज कराये जाने हेतु जिला कोषालय जबलपुर द्वारा अपने पत्र क्र. 2103 दिनांक 10.03.2025 के माध्य म से जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को लेख किया जा चुका है। (संलग्नस प्रति-6) 6. समिति द्वारा की गई जांच में प्राप्त साक्ष्यर एवं दस्ताजवेजों के आधार पर फर्जी भुगतान एवं गबन में उपयोग की गई अलग-अलग प्रक्रिया निम्नादनुसार है संदीप शर्मा सहा.ग्रेड-3 के रूप में वर्ष 2012 से लेखा शाखा में संलग्नग होकर,IFMIS में बिल क्रिएशन का कार्य कर रहे थे

Scanned with OKEN Scanner

। इनका मुख्यं दायित्वप पे रोल जेनरेशन एवं बिल क्रिएशन में क्रिएटर (स्टेबज 1) का था। मुख्यम रूप से कोई भी बिल इन दो घटक के अंदर इनके द्वारा ही तैयार किया जाकर के आगे वेरीफायर (स्टे)ज 2) और उसके पश्चाभत अप्रवूर (स्टेइज 3) से स्वीगकृत कराया जाता था। संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होने से एवं तकनीकी जान में दक्ष होने के कारण यह कार्य संदीप शर्मा करते थे। इनके द्वारा निम्नथ श्रेणियों में फर्जी बिल लगाये गये- 6.1 नियमित रूप से आहरित किये जाने वाले एन.पी.एस. श्रेणी के कर्मचारियों हेतु जेनरेट होने वाले वेतन देयक में, उपलब्ध Personal Pay (PP) में परिवर्तन किया जाता था। पर्सनल पे हेतु IFMIS सफ्टवेयर में 5 लाख तक के लिए मैन्यु(अल एंट्री हो सकती है, अर्थात् इसमें 5 लाख तक की संख्या व्यमक्ति अपने स्तखर से दर्ज कर सकता है जिसका फायदा श्री संदीप शर्मा ने अपने वेतन के लगभग 1300 प्रतिशत से अधिक रू 4,35,000 से 4,50,000 तक के अनाधिकृत राशि के आहरण किए। वास्तेव में इनका शुद्ध रूप से वेतन लगभग 32000 से 34000 के बीच है ।6.2 ऊपर दी गई प्रक्रिया के माध्यसम से संदीप शर्मा के द्वारा माह अप्रैल 2021 से मार्च 2025 तक के देय वेतन सहित कुल राशि रूपये 7910431.00 का आहरण किया जाना पाया गया। (संलग्न प्रति-7)6.3 कर्मचारी को देय महंगाई भत्ता4 के एरियर के बिल को ऑनलाइन तैयार करने के दौरान एरियर जेनरेशन हेतु उपलब्धर Adjustmentके घटक में परिर्वतन किया गया यह घटक भी पर्सनल पे के घटक के जैसे मैन्युधअल एंट्री स्वीmकृत करता है। जिसका फायदा इन्होंयने अपने स्व यं एवं कार्यालय में ही पदस्थ् कर्मचारी श्री अनूप कुमार बौरिया (एम्ला िसिक ई कोड 181018311) को पहुंचाया। अनूप कुमार बौरिया की शुद्ध डी.ए.एरियर की राशि स्वीकृति आदेश अनुसार रू 2808.00 अंकित थी, परंतु IFMIS Software में गलत मेन्युरअल एंट्री कर श्री अनूप कुमार बौरिया को स्वी)कृत राशि से अधिक रूपये 2,53,008.00 का अनाधिकृत भुगतान कर लगभग 2.50 लाख का अनुचित लाभ दिया। स्व यं संदीप शर्मा द्वारा डी.ए.एरियर के रूपये में सामान प्रक्रिया अपनाते हुए राशि 7.00 लाख से अधिक का अनुचित लाभ लिया। 6.4 सेवानिवृत्ति उपरांत अर्जित अवकाश समर्पण, समूह बीमा योजना एवं परिवार कल्यालण निधि की राशि के भुगतान की सामान्यज प्रशासनिक एवं निर्धारित प्रक्रिया है। जिस हेतु कर्मचारी के कार्यालय द्वारा शेष रह गए दिवसों तथा सेवा अवधि के आधार पर देय राशि की गणना विहित फर्मूला/पत्रक अनुसार की जाकर कर एवं कार्यालय प्रमुख के अनुमोदन उपरांत भुगतान स्वीा कृति आदेश सहित कोषालय में देयक प्रक्रिया से भुगतान हेतु अग्रेषित किया जाता है। 6.5 अर्जित अवकाश समर्पण, समूह बीमा योजना एवं परिवार कल्यागण निधिमें श्री संदीप शर्मा द्वारा दो तरीके से पैसों का आहरण किया गया। पहला- ऐसे लोग जो वास्तयव में कभी विभाग में सेवारत नहीं थे, उनके नामों से एवं ऐसे लोग जो कि विभाग में कभी सेवा में नहीं थे, उनको मृत दिखाकर के उनके फर्जी नमिनी के पक्ष में पैसा जारी कराया गया। यह सभी लोग या फिर तो संदीप शर्मा के परिवार से थे या उनके जान-पहचान के प्रतीत होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को करने हेतु फर्जी हस्ता क्षर कर स्वी कृति आदेश पारित करवाना, गलत वेंडर बनाना, फर्जी एम्ला ई कोड और प्रान नंबर जनरेट कराना, कूटरचितगणना पत्रक, अवकाश लेखा, फर्जीसेवा तथा नमिनेशन अभिलेख सृजित कर भुगतान हेतु कोषालय को अग्रेषित किया ।6.6 चूंकि कोषालय के IFMIS में समस्तर जानकारी संपरीक्षा कार्यालय स्तहर से ही फीड की जाती थी। अत: जिला कोषालय स्तार पर पृथक से सत्या पन की व्य वस्थात न होने का लाभ संदीप शर्मा ने उठाया ।उल्लेलखित प्रक्रिया के माध्यसम से लगभग राशि रूपये 4,69,82,551.00 का अर्जित अवकाश समर्पण एवं समूह बीमा योजना एवं परिवार कल्या ण निधि में 57,87,479.00 इस प्रकार कुल 5,27,70,030.00 रूपये का भुगतान संदीप शर्मा ने अपने रिश्तेनदार एवं अन्यर व्याक्तियों को उनके निजी बैंक खातों में पहुंचाया। उक्ता षडयंत्र के माध्य म से अनुचित लाभ प्राप्ता करने वाले व्ययक्तियों के नाम तथा बैंक खाता विवरण सहित सूची संलग्न है।(प्रति संलग्न - 8) 6.7 श्री संदीप शर्मा ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीमें भी अपने जानकार व्य क्तियों को कर्मचारी या उनके नमिनी के रूप में फर्जीसेवानिवृत्ति उपरांत विभागीय भविष्या निधि से अंतिम आहरण के रूप में अनाधिकृत स्व त्वफ के भुगतान करे। इसके लिए भी इन्हों ने फर्जी हस्ता क्षर कर कूटरचित विभागीय भुगतान प्राधिकार पत्र/आदेश, गणना पत्रक, डीपीएफ वार्षिक लेखा पर्ची(य), सेवा अभिलेख एवं नमिनेशन अभिलेख आदि सृजित कर देयकों को कोषालय में लगाया। 6.8 उल्ले,खित प्रक्रिया के माध्यनम से लगभग राशि रूपये

Scanned with OKEN Scanner

95,23,129.00 का अनाधिकृत आहरण किया जाना पाया गया। उक्तल माध्यिम से भुगतान प्रासय करने वाले व्यक्तियों के नाम तथा बैंक खाता विवरण सहित सूची के रूप में संलग्ना है। (संलग्ने प्रति-9)6.9 यह समस्तन प्रकार के स्वखत्वों का भुगतान राज्यि की संचित निधि से आहरित कर किया जाता है । उक्त-प्रकार के समस्तर स्व त्व व्यगक्ति विशेष के नाम से पृथक खाते अथवा पूल में संचित न किये जाकर सामान्यो रूप से राज्यत के कोष में जमा रहते हैं । जिससे एक कमन पूल से आहरण कर पाने में आसानी है।अत: किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पकड़ने के लिए आपत्ति उठाने हेतु आंतरिक प्रक्रिया/इंटरनल टूल नहीं हो से यह अनाधिकृत आहरण नजर में नहीं आया 6.10 जांच के दौरान समिति द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय से उनके कार्यरत समस्तब कर्मचारियों की सूची मांगी गई (प्रति संलग्नथ-10) जिसके मिलान करने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि श्री संदीप शर्मा ने प्रतीक शर्मा नाम के फर्जी एम्ला मि ई कोड एवं प्रान नंबर जनरेट कराए और उनको कार्यालय के IFMIS में ऑनलाईन दर्ज कराया । यह व्य कि कार्यालय में कभी भी कार्यरत नहीं थे । इन के नाम से सैलरीराशि 10,73,232.00 एवं अन्ये स्वत्वों का आहरण किया गया है । (संलग्न प्रति-11)6.11 इनको सैलरी देने के लिए STOP SALARY PAYMENT पद्धति से किया । इस हेतु कार्यालय के समस्तन कर्मचारियों (जो भी उक्तश डीडीओ कोड अंतर्गत मैप हैं) का संपूर्ण पे-रोल जनरेट कर अप्रमाणित एम्लाो भ ई कोड सम्बंधी (फर्जी) कर्मचारी के वेतन को STOP SALARY के माध्येम से तत्समय रोककर बाद में भुगतान हेतु देयक पृथक से कोषालय में देयक प्रेषित किया जाना।6.12 कुछ अंतरणों में यह भी प्रकाश में आया है कि भुगतान प्राप्त कर्ता को कभी कर्मचारी एवं कभी वेंडर के रूप में दिखाकर फर्जी /अदेय भुगतान भी किए है । (संलग्नर प्रति-12) 6.13 इस प्रकार इन समस्तय तरीकों में उपयोग होने हेतु संदीप शर्मा के द्वारा कार्यालय प्रमुख के (स्वी1कृतकर्ता अधिकारी तौर पर) फर्जी हस्ता क्षर कर भुगतान स्वीाकृति आदेश, गणना पत्रक तैयार करना, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जैसे - प्रथम बार आहरण सम्बंधी, अवकाश लेखा, तथा अन्य उपप्रमाणक आदि सत्यार्पित करना ; सेवा पुस्तिका के सेवा अभिलेखों में नॉमिनेशन प्रपत्र में कॉट छॉट करना ; नगर निगम तथा ग्राम पंचायत के नाम से जारी "Digitally edited" मृत्युर प्रमाण पत्र सृजित किया जाना ; माननीय उच्चय न्यायालय जबलपुर के नाम से फर्जी ऑर्डर शीट (अहस्ता क्षरित) सृजित करना ; कार्यालय महाधिवक्ता म.प्र. के पत्र में डिजिटल एडिटिंग कर फर्जी अभिलेख तैयार कर अपने संबंधी मित्र एवं अन्या जानकार लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया जोकि पूर्णत: सोची-समझी षडयंत्र का हिस्साव है । इलेक्ट्रा निक देयक तैयार, उत्साणदित, प्रस्तुीत एवं पारित करने की प्रक्रिया 7.1 आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कार्यालय अंतर्गत IFMIS सॉफ्टवेयर में बनाई गई पे-रोल जनरेशन हेतु उत्रावंटायी चैनल जिसमें कि क्रियेटर, वेरिफायर, अप्रूवर सम्मिलित होते हैं के द्वारा कार्यालयीन उपस्थिति अभिलेखों के आधार पर पे-रोल मॉड्यूल क्रियेटर द्वारा वेतन का ब्यौ,रा तैयार कर परीक्षण हेतु वेरिफायर के लॉगिन पर अग्रेषित किया जाता है जिसका समूचित परीक्षण कर उसे अप्रूवर की लॉगिन पर अग्रेषित किया जाता है। 7.2 प्राप्त वेतन ब्यौनरे से संतुष्टत होने पर अप्रूवर द्वारा अपनी लॉगिन से उसे अनुमोदित किये जाने पर उक्त पे-रोल देयक के रूप में तैयार होने हेतु कार्यालय के Bill Generation Hierarchy में मैप किये गये क्रियेटर (कर्मचारी) की लॉगिन में प्राप्ते किये जाते हैं । 7.3 म.प्र. कोषालय संहिता 2020 के परिशिष्टल 3 अंतर्गत, प्रत्येकक आहरण संवितरण अधिकारी के लिये राज्यG की संचित निधि तथा लोक लेखा से किसी भी प्रकार का भुगतान करने के लिये धन का आहरण किये जाने हेतु कोषालय में देयक प्रस्तुखत किये जाने के लिये प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अत: परिशिष्टो - 3 अंतर्गत प्रावधान निम्ना नुसार है:-• आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवं देयक तैयार करने के लिये जिम्मेादार चैनल में मैप प्रत्येतक अधिकारी/कर्मचारी को IFMIS से उत्साेदित लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड दिया जाता है, एवं नियमित रूप से कुछ अंतरालों पर पासवर्ड बदलते रहना सम्बंतधितों से अपेक्षित है। सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी पासवर्ड की सुरक्षा के लिए स्वतयं जिम्मेरदार है।• कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 73 तथा परिशिष्टक 3 के अनुसार Bill Generation Hierarchy में मैप किये गये क्रियेटर से अपेक्षित है कि वह अपने पासवर्ड के माध्यतम से सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर विहित प्रारूप में समस्तय सुसंगत विवरण सहित तथा मूल अभिलेख स्कैॉन तथा अपलोड कर इलेक्ट्रापनिक देयक तैयार करे तथा वेरिफायर (यदि हो तो) अथवा आहरण एवं संवितरण

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी (अप्रूवर) को अग्रेषित करे।1. वेरिफायर द्वारा लॉगिन में प्राप्त देयकों का समग्र रूप से तथा नियम अनुसार परीक्षण कर संतुष्ट होने की स्थिति में ही अप्रूवर (आहरण एवं संवितरण अधिकारी) की लॉगिन में अग्रेषित करे। क्रियेटर/वेरिफायर द्वारा अग्रेषित देयक का आहरण एवं संवितरण अधिकारी (अप्रूवर) द्वारा IFMIS में अपने पासवर्ड का उपयोग कर, देयक का सुसंगत नियमानुसार परीक्षण किया जाएगा एवं भुगतान से सम्बंधित सभी विवरण यथा प्राप्तसकर्ता/दावेदार का नाम बैंक खाता विवरण, दावे की राशि की गणना एवं देय राशि, सक्षम स्वीकृति, आवश्याक संलग्न क अभिलेख की सत्यवता की जॉच करेगा तथा यदि आवश्यनक हो तो सुधार किया जावेगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी को समाधान हो जाने पर उनके द्वारा भुगतान हेतु देयक अनुमोदित किये जाने हेतु अपना ई-हस्ता क्षर अंकित किया जाना होगा जिसके पश्चादत स्वतयं के मोबाइल पर एक ओ.टी.पी. प्राप्त होगा जिसे साफ्टवेयर पर डाल कर अप्रूव करने के उपरांत देयक कोषालय में भुगतान हेतु स्वात: प्रेषित होगा । कोषालय से पारित भुगतान के उपरांत पारित देयक की राशि का मैसेज भी आहरण एवं संवितरण अधिकारी के मोबाइल पर आता है जिससे वह पुष्टि कर सकता है कि कितनी राशि का देयक पारित हुआ है । 8. श्री संदीप शर्मा कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा में वर्ष 2012 से कार्यरत हैं । जांच समिति द्वारा की गई जांच स्थारनीय संपरीक्षा कार्यालय के डी.डी.ओ. कोड जिला कोषालयम में संविलियिन के पश्चाकत से आज दिनांक तक की स्थिति में किए गए भुगतान के आधार पर किया गया है । अभिलेखों के मिलान देयको के परीक्षण एवं प्राप्ते सूचियों के आधार पर श्री संदीप शर्मा द्वारा वित्तीखय वर्ष 2021-22 से लेकर आज दिनांक तक लगभग राशि 6.99 करोड़ से अधिक का गबन किया गया है । उपरोक्त जांच के माध्य म से समक्ष में आई लंबे समय चल रही कूटरचना से यह प्रतीत होता है किश्री संदीप शर्मा के साथ उनके कार्यालय में वेरीफायर श्रीमती सीमा अमित तिवारी,अप्रूवर श्री मनोज बरहैया (डी.डी.ओ) तथा पे रोल अप्रूवर श्रीमती प्रिया विश्नाीई की संलिप्तवता संदिग्ध है,जिसमें कथित तौर पर म.प्र.कोषालय संहिता के नियमों के उल्लंतघन के साथ-साथ आपराधिक कृत्यि भी किया गया है । (प्रति संलग्नप-13) 9. उपरोक्त हेरा फेरी को कारित किये जाने हेतु कपटपूर्ण रूप से सृजित किये अभिलेखों/दस्तावेजों जो स्केन कर कोषालय में ऑनलाईन माध्यहम से प्रेषित किये गये देयकों के साथ संलग्नत किये गये , का प्रिंट ऑउट संलग्न प्रति(यां)-14 के रूप में प्रस्तुपत है। उपरोक्तथ अनुसार हेर-फेर के माध्यकम से किए गए फर्जी अंतरण की राशि प्राप्ती कर अनुचित लाभ उठाने वाले समस्तप निजी व्य क्ति यथा १. अनिकेत विश्वरकर्मा २.प्रतीक शर्मा ३. पुनीता ४. प्रियांशु शर्मा ५. शैरॉन अर्पित हैरिसन ६. शालोम विवियन गिल ७. आशीष विश्व कर्मा ८. मो.रयाज़ ९. राहुल शर्मा १०. कविता शर्मा ११. स्वा ति शर्मा १२. दिलीप कुमार विश्व कर्मा १३.रूकसार परवीन १४. शिवम शर्मा १५. मो.सलीम १६. मो.शरीक १७. मो. उवेटुल्लाि १८. पुष्पाक देवी शर्मा १९. शुभम शर्मा २०. विनय कुमार २१.काशिफ आजमी २२.अनीशा शर्मा २३.दत्तारय सरवन २४. पूनम शर्मा २५. के.के.शर्मा २६. श्वे.ता शर्मा २७. कृतिका विश्वा २८. विकास कुमार २९. अनीता ३०. आकांक्षा ३१. सुष्मिता सरवन ३२. अनिल कुमार मिश्रा ३३. अनिल कुमार मरावी ३४. जया पासी ३५. मेनुका की भी उपरोक्त५ षडयंत्र में संलिप्तेता प्रतीत होती है, जोकि विस्तृलत जांच पडताल का विषय है । 10. अत: कार्यालय स्था नीय निधि संपरीक्षा जबलपुर में पदस्थ - 1. श्री संदीप शर्मा, निवासी फ्लेट क्रं.410 चंद्रिका परिसर, गोरखपुर थाने के पीछे, बनारसी दास वार्ड जबलपुर 2. श्रीमती सीमा अमित तिवारी 3. श्री मनोज बरहैया (वर्तमान कार्यालय संचालनालय स्था नीय निधि संपरीक्षा प्रकोष्ठत भोपाल सतपुडा भवन द्वितीय तल खण्ड -ग में पदस्थच है) 4. श्रीमती प्रिया विश्नाअई निवासी म.नं.190 शताब्दीभपुरम शहनाई गार्डन रोड के पास विजयनगर जबलपुर 482001 5. श्री अनूप कुमार भौर्या के द्वारा वित्तीीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 के दौरान सुनियोजित ढंग से षडयंत्र कारित कर शासकीय राशि के गबन हेतु जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने एवं शासकीय ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के माध्येम से ई-साइन, जिसका उपयोग किये जाने हेतु जिस व्यतक्ति के ई-साइन अंकित किये जा रहे हैं उसके मोबाईल फोन पर प्राप्त होने वाले ओ.टी.पी. के माध्य म से उत्प्रेणाली का उपयोग किया जाता है, का दुरूपयोग किये जाने के फलस्वजरूप उक्त समस्तय व्याक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याजय संहिता 2023 , भारतीय दण्डे संहिता तथा सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज

Scanned with OKEN Scanner

करने का कष्टा करें। संलग्न – उपरोक्ताकनुसार समिति द्वारा दिया गया जांच प्रतिवेदन एवं संलग्न क 1 से 14 तक हस्ताक्षर अंग्रेजी मे Vinayika (विनायिका लकरा)जिला कोषालय अधिकारी जिला जबलपुर पृ.क्रं. /2129/जि.को./2025 जबलपुर दिनांक 12.03.2025 प्रतिलिपि:- 1. कलेक्टरर, जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।2. पुलिस अधीक्षक, जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। जिला कोषालय अधिकारी जिला जबलपुर

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है ।)

or (या)

(1) **Registered the case and took up the investigation:**
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** KUNJ BIHARI SINGH
No.(सं.):
Rank (पद): OFFICIATING ASST SUB INSPECTOR
to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):**

or (के कारण इंकार किया या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी ।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम): KUNJ BIHARI SINGH

Rank (पद): सउनि-कार्यवाहक

Scanned with OKEN Scanner

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम):RAJPAL SINGH BAGHEL
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.):

Vinayika

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म	Build (बनावट)	Height (cms.)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
2	महिला					
3	पुरुष					
4	महिला					

Scanned with OKEN Scanner